

भवन समन्वय समिति
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की

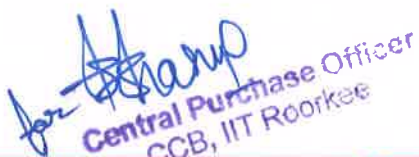
सं० सी०सी०बी० / 157 / पी-11 (बेकरी उत्पाद)

दिनांक: जुलाई 11, 2025

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की सी.सी.बी. द्वारा संचालित सभी भवन मैसों (आजाद, सरोजिनी, विज्ञान एवं ईडब्लूएस) में दिनांक 01.08.2025 से 30.09.2025 तक के लिए निम्नलिखित बेकरी उत्पादित खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र।

फर्म का नाम व पता	
फूड लाइसेंस न०	
पैन न०	
मो० न०	
ईमेल आईडी	
निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि	दि० 21/07/2025 (सोमवार) को सांय 03-00 बजे तक
निविदा खुलने की तिथि व समय	दि० 21/07/2025 (सोमवार) को सांय 03-30 बजे
निविदा जमा करने का स्थान	सी०सी०बी० कार्यालय, मेन बिल्डिंग, आई०आई०टी० रुड़की
निविदा खुलने का स्थान	सरोजिनी भवन मैस

क्रम संख्या	सामग्री का नाम	दर अंकों में	दर शब्दों में	जी.एस.टी की दरें
1.	ब्रेड (ब्राण्ड.....)	रुपये _____	प्रत्येक	रुपये _____
	वजन _____ प्रति			
2.	ब्राउन ब्रेड (ब्राण्ड.....)	रुपये _____	प्रत्येक	रुपये _____
	वजन _____ प्रति			
3.	बन, 50 ग्राम वजन	रुपये _____	प्रत्येक	रुपये _____
4.	पेस्टी पाइनएपल स्टेन्डर्ड साइज	रुपये _____	प्रत्येक	रुपये _____
5.	पेस्टी मैंगो स्टेन्डर्ड साइज	रुपये _____	प्रत्येक	रुपये _____
6.	पेस्टी ब्लेक फोस्ट स्टेन्डर्ड साइज	रुपये _____	प्रत्येक	रुपये _____
7.	पाव, 50 ग्राम वजन	रुपये _____	प्रत्येक	रुपये _____
8.	कुल्चा (स्टेन्डर्ड साईज)	रुपये _____	प्रत्येक	रुपये _____
9.	वेज पेटिज (स्टेन्डर्ड साईज)	रुपये _____	प्रत्येक	रुपये _____


Central Purchase Officer
CCB, IIT Roorkee

निविदादाता के हस्ताक्षर _____

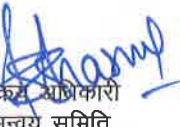
नियम व शर्त :-

1. सभी निविदायें मुहरबन्द लिफाफे में अध्यक्ष, भवन समन्वय समिति, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के नाम होनी चाहिए। खुला निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. केन्द्रीय क्रय अधिकारी/अध्यक्ष, भवन समन्वय समिति को यह अधिकार सुरक्षित है कि निविदा का कोई अंश अथवा समस्त भाग निरस्त कर सकते हैं। उसके लिये कोई कारण बताना अनिवार्य नहीं है।
3. उपरोक्त तिथि एवं समय के पश्चात् कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. टेण्डर में कटिंग व ओवर राइटिंग न करें, कटिंग होने पर दोबारा साफ - साफ लिख कर अपने हस्ताक्षर करें अन्यथा टेण्डर निरस्त भी किया जा सकता है।
5. ठेका एक से अधिक ठेकेदारों को दिया जा सकता है।
6. ठेका बिना कारण बताए किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
7. आपूर्ति न कर पाने या आपूर्ति स्वीकृत सैम्पल के अनुसार न कर पाने की दशा में ठेकेदार की धरोहर राशि जब्त की जा सकती है तथा अन्य जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
8. खाद्य पदार्थों की दरें खाद्य पदार्थों को संस्थान की मैसों तक पहुंचाने व सभी करों सहित होनी चाहिए।
9. खाद्य पदार्थों का ठेका सी.सी.बी. द्वारा संचालित मैसों को मान्य होगा।
10. ठेकेदार को सामान की आपूर्ति सी.सी.बी. द्वारा संचालित मैसों में उनकी आवश्यकतानुसार समय पर करनी होगी।
11. बिल का भुगतान सम्बन्धित मैसों द्वारा किया जायेगा। भुगतान हेतु बिल सामान के साथ ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
12. अध्यक्ष, भवन समन्वय समिति का निर्णय अन्तिम तथा सर्वमान्य होगा।
13. जिन वेण्डरों ने अभी तक सी.सी.बी. कार्यालय में फूड लाइसेंस जमा नहीं कराए हैं उनको फूड लाइसेंस (FSSAI) की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा कोटेशन अमान्य होगा।
14. नये आपूर्तिकर्ताओं को खरीद आदेश (PO) प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर सी.सी.बी. कार्यालय में धरोहर राशि जमा कराना तथा पंजीकरण करवाना आवश्यक हैं।
15. निविदा में दी गई खाद्य पदार्थों की मात्रा अनुमानित है तथा यह मात्रा 25% तक घट या बढ़ सकती है।
16. वर्तमान में आजाद, सरोजिनी, विज्ञान एवं ईडब्ल्यूएस भवन मैस का संचालन हो रहा है।
17. सप्लायर द्वारा निविदा में दी गई दरों को स्वीकृत किए जाने पर 01/08/2025 से 30/09/2025 के मध्य दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि किया जाना सम्भव नहीं होगा।
18. संस्थान की मैसों में आपूर्ति करने हेतु आने-जाने के लिए संस्थान के सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा तथा प्रवेश हेतु पास बनवाने की प्रक्रिया सप्लायर द्वारा किया जाना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर_____

दिनांक:_____

निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

for 
केन्द्रीय क्रय अधिकारी
भवन समन्वय समिति